संख्या : 1501/10–5–2002–21(जी–1)/95

प्रेषक,

**भूपेन्द्र सिंह,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**समस्त विभागाध्यक्ष,**
कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

उद्योग अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक : 05 अक्टूबर, 2002

**विषय : उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0–2293 एल/18–7–93–25 (जी–1)/93, दिनांक 27 नवम्बर, 1993 एवं शासनादेश सं0–313/18–7–95 (जी–1)/95, दिनांक 28 फरवरी, 1995 को आंशिक रूप से संशोधित/अतिक्रमित करते हुये उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्म कालीन एवं शीतकालीन वर्दी एवं वर्दी धुलाई भत्ता नियमानुसार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

**ग्रीष्म कालीन वर्दी (पुरुष)**

दो बुशर्ट तथा दो पैन्ट टेरीकाट सिली हुई, प्रत्येक 04 वर्ष में एक बाद।

**शीतकालीन वर्दी (पुरुष)**

एक ऊनी कोट सिला हुआ प्रत्येक 05 वर्ष में तथा एक ऊनी पैन्ट सिली हुई प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

**ग्रीष्म कालीन वर्दी (महिला)**

दो साड़ी टेरीकाट, 03 पेटीकोट, 03 ब्लाउज, प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

**शीतकालीन वर्दी (महिला)**

एक ऊनी जर्सी सिली हुई, प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

**उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय धुलाई भत्ता**

रू0 12.00 प्रतिमाह के स्थान पर 20.00 प्रतिमाह देय है।

**राजकीय वाहन चालकों को देय धुलाई भत्ता**

रू0 20.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 30.00 प्रतिमाह देय है। सचिवालय से चार चतुर्थ श्रेणी के किन–किन कर्मचारियों को वर्दी अनुमन्य होगी उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

मौलिक रूप से नियुक्त एवं 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये समस्त स्थायी जमादार, अर्दली, दफ्तरी, पत्रवाहक, कार्यालय चपरासी, राजपत्रित से सम्बद्ध चपरासी तथा राजकीय वाहन चालक।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस श्रेणी के कार्मिकों को कम्बल एवं साफा की पूर्व अनुमन्यता को बनाये रखना उपयुक्त नहीं पाया गया। विभागाध्यक्ष एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के साथ सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को तथा जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यात्मक आधार पर परीक्षण कर केवल चिन्हित कार्मिकों को ही साफा उपलब्ध कराया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0–ई–6–832/2002, दिनांक 03 सितम्बर, 2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4. उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू माने जायेंगे।

भवदीय,

**भूपेन्द्र सिंह**

सचिव।

**संख्या–1501(1)/18–5–2002–21(जी–1)/85, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (I, II, III) उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. वित्त आयोग (अनुभाग–1/2) तीन–तीन प्रतियों में)
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–V
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**राजनाथ**
अनुसचिव।